



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237391
CG-DL-E-20072022-237391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944

No. 514]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

सं. 43/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 587(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022, जिसे सा.का.नि. 328 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, सारणी में, शर्त संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“2	(क) उपर्युक्त शर्त संख्या 1 के उपवाक्य (ख) में विनिर्दिष्ट टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में उल्लिखित इम्पोर्टर-एक्सपोर्टर कोड (आईईसी), आरबीआई (बैंकों के मामले में) या डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के मामले में) या आईएफएससीए (इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से पात्र जेवेलर्स के मामले में) के द्वारा यथाअधिसूचित नामित एजेंसियों का इम्पोर्टर-एक्सपोर्टर कोड (आईईसी) होगा। इसके अतिरिक्त टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में उस आभूषण विनिर्माता का जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) का भी उल्लेख होगा जिसको टीआरक्यू जारी किया जा रहा हो।
----	--

	(ख) आयातकर्ता, कस्टम्स (इम्पोर्ट ऑफ़ गुड्स कन्सेशनल एट रेट ऑफ़ ड्यूटी) रूल्स, २०१७, में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करता हो।”।
--	--

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/223/2021-टीओ (टीआरयू- I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे सा.का.नि. 489 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

No. 43/2022-Customs

G.S.R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 328 (E), dated the 30th April, 2022, namely:-

In the said notification, in the Annexure, in the Table, for the Condition No. 2 and the entries relating thereto, the following Condition No. and entries shall be substituted, namely: -

“2	(a) Importer-Exporter Code (IEC), mentioned in TRQ authorization specified in clause (b) of Condition No. 1 above, shall be Importer-Exporter Code (IEC) of nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or DGFT (for other agencies) or IFSCA (for qualified jewelers through India International Bullion Exchange). Additionally, TRQ authorization shall also contain GST Identification Number (GSTIN) of the jewellery manufacturer to whom TRQ is being issued. (b) The importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.”.
----	---

[F.No. CBIC-190354/223/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 328 (E), dated the 30th April, 2022 and was last amended, *vide* notification No. 36/2022-Customs, dated the 30th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 489(E), dated the 30th June, 2022.